तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।

पी0ए0 वाद सं0– 07/2013–14

आवेदक– शिकार मुर्मू

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– छोटा बांसजोरी

आदेश

19.7.19

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.08.2013 को आवेदन दाखिल कर मौजा छोटा बांसजोरी के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, तालझारी को आवेदन पत्र की छाया प्रति भेजी गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्ति के पश्चात आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा छोटा बांसजोरी में प्रधान नहीं रहने के कारण मौजा के रैयतगणों को जमीन का खजाना जमा करने एवं अन्य कार्य में असुविधा होती है। आवेदक शिकार मुर्मू पढा–लिखा शिक्षित एवं ईमानदार व्यक्ति है एवं मौजा के रैयतगणों के साथ अच्छा तालमेल भी है तथा आवेदक शिकार मुर्मू, पिता– स्व0 राम मुर्मू मौजा छोटा बांसजोरी के जमाबंदी रैयत के वारिसान है। मौजा के 16 आना रैयतों को भी आवेदक शिकार मुर्मू के प्रधान पद पर नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक 17.07.2019 को पंचायत वृन्दावन अंतर्गत ग्राम अम्बाडीहा में मौजा छोटा बांसजोरी के ग्राम प्रधान बहाली हेतु ग्राम सभा आयोजित कर मौजा के 16 आना रैयतों के सहमति के उपरांत आवेदक शिकार मुर्मू को प्रधान पद पर नियुक्त करने हेतु सर्व सम्मति प्रस्ताव पारित किया गया।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 478/रा0, दिनांक 19.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा छोटा बांसजोरी प्रधानी व बेचिरागी मौजा है। मौजा छोटा बांसजोरी के रैयतों के साथ ग्राम अम्बाडीहा में ग्राम सभा कर ग्रामीणों द्वारा आवेदक शिकार मुर्मू, पिता– स्व0 राम मुर्मू, सा0– अम्बाडीहा को प्रधान पद पर बहाली हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की सहमति से आवेदक शिकार मुर्मू को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्ति किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

ज्ञापांक 292/रा0
दिनांक 23.7.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner